

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)

वाद सं०-179/2020

रनबहादुर पासवान वगैरह

-बनाम्-

आमेप्रकाश साव वगैरह

आदेश

26.10.2020 अंचल अधिकारी, जमुआ के प्रतिवेदन के आलोक में मौजा बीजोडीह, थाना नं०-343, खाता नं०-27, प्लॉट नं०-349, रकवा-1.90 एकड़ गैरमजरूआ खास खाते के परती कदीम भूमि पर बिना किसी कागजात के निर्माण कार्य करने वाले पक्षकारों के विरुद्ध जारी कार्यवाही की सुनवाई हेतु सूचित करने के बावजूद किसी भी पक्षकार द्वारा उपस्थित होकर कोई कागजात अथवा पक्ष अबतक प्रस्तुत नहीं किया जा सका अतएव अंचल अधिकारी, जमुआ एवं थाना प्रभारी, जमुआ को उपरोक्त भूमि के हिफाजत के लिए आवश्यकतानुसार नियमसंगत कार्रवाई किये जाने के निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, जमुआ तथा थाना प्रभारी, जमुआ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)
26/10/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)
26/10/2020